रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 237] नई दिल्ली, शनिवार, मई 6, 1972/वैशाख 16, 1894

No. 237] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6, 1972/VIASAKHA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

ORDER

New Delhi, the 6th May 1972

S.O. 342(E).—Whereas the Central Government is of opinion that it is necessary so to do for maintaining and increasing supplies of milk and for securing its equitable distribution in the areas comprising the Union Territory of Delhi and the Districts of Meerut and Buland hahr in the State of Uttar Pradesh.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Order may be called the Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order, 1972.

(2) It extends to the areas comprising the Union Territory of Delhi and the Districts of Meerut and Bulandshahr in the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on the 7th May, 1972 and shall cease to operate on the 16 h July, 1972 except as respects things done or omitted to be done before such cesser of operation.

2. Definitions.—In this Order, unless the context otherwise requires:—

(a) "controlling officer" means any officer appointed as such by the Government of Uttar Pradesh in respect of the Districts of Meerut and Bulandshahr and by the Delhi Administration in respect of the Union territory of Delhi, to exercise the powers and perform the duties of a controlling officer under this Order;

(b) "export" means to take or cause to be taken, by any means whatsoever, out of any place within the areas to which this order extends to any place outside those areas;

(c) "milk" means the normal, clean and fresh secretion obtained by milking of the udder of a cow, buffalo, goat or sheep and includes milk with or without fat, butter milk, standardised milk, toned milk, double toned milk or milk prepared from milk powder, but does not include the article commonly known as dried milk or milk powder or condensed milk.

3. Prohibition of manufacture, sale, service, supply, export of milk and milk products.—No person shall—

(a) use milk of any kind for the manufacture of cream, cascin, skimmed milk, khoa, rubree paneer or any kind of sweets in the preparation of which milk or any of its products except ghee is an ingredient; or

(b) export milk of any kind; or

(c) sell, serve, supply or export or cause to be sold, served, supplied or exported cream, cascin, skimmed milk, khoa, rubree, paneer, or any kind of sweets in the preparation of which milk or any of its products (including dried milk or milk powder or condensed milk), except ghee, is an ingredient;

Provided that nothing in this clause shall apply—

(i) to the use of milk for the manufacture of and to the sale, service, supply or export of ice cream, kulfi or kulfa, in the preparation of which no khoa, rubree or cream is used;

(ii) to the export of milk of any kind by a person engaged in the manufacture of infant milk food.

(a) whose undertaking has been registered or licensed under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and

(b) who has been exporting milk of any kind for the purpose of the manufacture of infant milk food immediately preceding the commencement of this Order, if he has obtained a permit to that effect from the controlling officer.

(iii) to the use, by such undertaking as the Central Government may specify in this behalf, of milk for the manufacture of cream as intermediary stage in the manufacture of butter, ghee, milk powder, and other milk products, if the Central Government, being of opinion that it is necessary so to do in the interest of the Defence Forces, so directs.

4. Power of entry, search, seizure, etc.—(1) Any Stipendary Magistrate or any police officer, not below the rank of a head constable may with a view to securing compliance with this Order or to satisfying himself that this Order is being complied with:—

(a) stop and search any person or any boat, motor or other vehicle or any receptacle or machinery used or intended to be used for export of milk or for the manufacture of milk products,

(b) enter and search any place or premises where he has reason to believe that milk is stocked or that they are being used for the manufacture, sale, service or supply of milk products;

(c) seize or authorise the seizure of any milk or milk products in any place or premises together with packages, coverings receptacles or machinery in which milk or milk products are found or with which such milk products are manufactured, or the animals, vehicles, vessels, boats or other conveyances used in carrying milk or milk products and thereafter take all measures necessary for securing the production of the packages, coverings, receptacles, machinery so seized in a court and for their safe custody pending such production.

(2) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this clause.

[No. 19-4/72-LD.I.]

T. P. SINGH, Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 मई, 1972

का० आ० 342 (अ).—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि दूध के प्लांटों को बनाए रखने और बढ़ाने और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ और बुलन्दशहर के जिलों के क्षेत्रों में उसका साम्यापूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है ।

अतः अब, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.**—(1) यह आदेश दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दूध और दुग्ध-उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ और बुलन्दशहर जिलों के क्षेत्रों पर है ।

(3) यह 7-5-72 को प्रवृत्त होगा, और उन बातों के सिवाय जो ऐसे प्रवर्तन की समाप्ति से पूर्व की गई या की जाने से रह गई हैं, 16 जुलाई, 1972 को प्रवृत्त नहीं रहेगा ।

2 **परिभाषाएं.**—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से, अन्यथा अपेक्षित नहो :—

(क) "नियंत्रक अधिकारी" से वह अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे मेरठ और बुलन्दशहर जिलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन ने इस आदेश के प्रयोजनों के लिये नियंत्रक अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिये इस हैसियत में नियुक्त किया है ।

(ख) "निर्यात" से ऐसे क्षेत्रों के बाहर, जिन पर इस आदेश का विस्तार है, भारत के किसी क्षेत्र से उन क्षेत्रों के बाहर के किसी क्षेत्र को, किसी भी साधन से, ले जाना या लिया जाना अभिप्रेत है

(ग) "दूध" से अभिप्रेत है गाय, भैंस, बकरी या भेड़ के थनों से प्राप्त प्रसामान्य, स्वच्छ और ताजा स्राव और इसके अन्तर्गत वसा सहित या रहित दूध; मट्ठा, मानकित दूध, टोंड का दूध, डबल टोंड का दूध या दुग्ध चूर्ण से बना दूध आता है किन्तु इसके अन्तर्गत वह वस्तु नहीं है जिसे सामान्यतया सुखाया हुआ दूध या दुग्ध चूर्ण या संघनित दूध कहते हैं।

3. दूध और दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण बिक्री, परोसने, प्रदाय या निर्यात का प्रतिषेध.—(क) क्रीम, कैसीन (दूध सत्व), क्रीम निकले दूध, खोया, रबड़ी, पनीर या किसी भी प्रकार की ऐसी मिठाइयों का, जिन्हें तैयार करने में दूध या उसके किसी उत्पाद का, घी के सिवाय, संघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है, विनिर्माण करने के लिये किसी भी प्रकार का दूध का प्रयोग नहीं करेगा; अथवा

(ख) किसी भी प्रकार के दूध का निर्यात नहीं करेगा ; अथवा

(ग) क्रीम, कैसीन, क्रीम निकला दूध, खोया, रबड़ी पनीर या अन्य किसी प्रकार की मिठाई, जिसे तैयार करने में घी के सिवाय दूध या उसके किसी उत्पाद (सुखाया दूध या दुग्ध चूर्ण या संघनित दुग्ध) का प्रयोग संघटक के रूप में किया जाता है, न तो बेचेगा, न परोसेगा, न प्रदाय करेगा और न निर्यात करेगा और न ही ऐसा विक्रय, परोसा, प्रदाय या निर्यात करवाएगा :

परन्तु इस खण्ड की कोई भी बात :—

(1) ऐसी आइसक्रीम, कुल्फी या कुल्फे के, जिसके तैयार करने में खोया रबड़ी या क्रीम का प्रयोग नहीं होता, विनिर्माण के लिए दूध के प्रयोग और उनके विक्रय, परोसने या निर्यात को लागू नहीं होगी ;

(2) शिशु दुग्ध आहार के विनिर्माण में लगे हुए किसी व्यक्ति द्वारा,

(क) जिसका उपक्रम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अनुज्ञापित किया गया है, तथा

(ख) जो शिशु दुग्ध आहार के विनिर्माण के प्रयोजनों के लिए, इस आदेश के प्रारम्भ से ठीक पूर्व किसी भी प्रकार के दूध का निर्यात करता रहा है; किसी भी प्रकार के दूध के निर्यात को लागू नहीं होगी यदि उस व्यक्ति ने नियंत्रक अधिकारी के उस आशय की अनुज्ञप्ति प्राप्त कर ली है।

(3) मक्खन, घी, दुग्ध चूर्ण तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण में मध्यवर्ती स्तर पर प्रयोग होने वाली क्रीम के विनिर्माण में दूध के प्रयोग के लिए ऐसे उपक्रम द्वारा, जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जायेगा, लागू नहीं होगी, बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार का, यह विचार हो कि ऐसा करना रक्षा सेनाओं के हित में आवश्यक है, ऐसा निदेश देती है ।

4. प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियां—(1) कोई भी वैतनिक मजिस्ट्रेट अथवा कोई भी पुलिस अधिकारी, जो हैडकांस्टेबल से नीचे के दर्जे का न हो इस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से या अन्यथा यह समाधान करने की दृष्टि से कि आदेश का अनुपालन किया जा रहा है;

(क) किसी भी व्यक्ति को या किसी नाव, मोटर या अन्य गाड़ी या किसी पात्र या मशीनरी को, जो दूध के निर्यात के लिए या दुग्ध उत्पादनों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाई गयी हो या जिसको प्रयोग में लाना आशंकित हो, रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा ;

(ख) जहां कि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि दूध का स्टाक किया है या वे चीजें दुग्ध उत्पादों के विनिर्माण, विक्रय, परोसा या प्रदाय करने के लिए प्रयोग में लायी जा रही हैं वहां, किसी भी स्थान या परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ग) किसी भी स्थान या परिसर में कोई दूध या दुग्ध पदार्थ, और पैकेज, आवरण, पात्र या मशीनरी, जिनसे दूध या दुग्ध पदार्थ पाए जाते हैं या जिन के साथ ऐसे दुग्ध पदार्थ पाए जाएं या जिनमें ऐसे दुग्ध-पदार्थ विनिर्मित किए जाते है या दूध या दुग्ध-पदार्थ ले जाने में उपयोग में लाए जाने वाले पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या नावों या अन्य सवारियों को अभिगृहीत कर सकेगा या उनका अभिग्रहण प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार अभिग्रहीत पैकेजों, आवरणों, पात्रों या मशीनरी को किसी न्यायालय में पेश करना और जब तक वे पेश न किये जायें तब तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एतद्द्वारा तत्पश्चात् सभी आवश्यक उपाय करेगा ।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की तलाशी और अभिग्रहण सम्बन्धी धाराओं 102 और 103 के उपबन्ध इस खण्ड के अधीन तलाशी और अभिग्रहणों को यावतशक्य लागू होंगे ।

[संख्या 19-4/72-पशुधन विकास-1]

त्रिभुवन प्रसाद सिंह, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972